विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 17 जुलाई 2014

फा. क्र. 3(ए)1-2011-इक्कीस-ब (एक).—उच्च न्यायिक सेवा की सदस्या श्रीमती संगीता मदान, अष्टम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर के द्वारा त्यागपत्र दिए जाने के कारण राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा दिनांक 16 जुलाई 2014 को मान्य करते हुए उनका त्यागपत्र तत्काल प्रभाव से स्वीकृत करता है.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2014

फा. क्र. 3(बी)1-2012-इक्कीस-ब (एक).—(अनुपूरक सूची क्र. 1), राज्य शासन, श्री सूर्यपाल सिंह राठौर पिता श्री राजेन्द्र सिंह राठौर को मध्यप्रदेश निम्नतर न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700—770—33090—920—40450—1080—44470 में एतद्द्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला मंदसौर है. उसकी जन्मतिथि 14 अक्टूबर, 1986 है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रहास व्ही. सिरपुरकर, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2014

फा. क्र. 1(बी)38-2004-इक्कीस-ब (दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, श्री आनन्द तिवारी पुत्र श्री रामचन्द्र तिवारी अधिवक्ता जिला भोपाल को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये जिला भोपाल सत्र खण्ड के जिला भोपाल राजस्व जिले के लिये एतद्द्वारा, शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, नियुक्त करता है. यह नियुक्ति सामान्य पदावधि समाप्त होने के पूर्व बिना कोई कारण बताये किसी भी समय उन्हें कोई सूचना दिए बिना समाप्त की जा सकती है.

भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 2014

शुद्धि-पत्र

फा. क्र. I-1-2002-इक्कीस-ब (एक).—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 17-07-2014 की तालिका के सरल क्रमांक 3 के कॉलम 4 में अंकित शब्द "27-06-2016" के स्थान पर "27-05-2016" पढ़ा जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेन्द्र कुमार वर्मा, सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

सूचना

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्र. एफ-3-86-2011-बत्तीस.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा पिपरिया निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19(1) में अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात्:—

1. आयुक्त, नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद म.प्र.
2. कलेक्टर, जिला होशंगाबाद म. प्र.
3. उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यलय होशंगाबाद म. प्र.
4. मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका परिषद पिपरिया जिला-होशंगाबाद म. प्र.

(2) यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 18 जुलाई 2014

क्र. एफ-3-86-2011-बत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक एफ-3-86-2011-बत्तीस, दिनांक 18 जुलाई 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वर्षा नावलेकर, उपसचिव.

NOTICE

Bhopal, the 18 July 2014

No.F-3-86-2011-XXXII.—Notice under Section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan for Piparia (Planning Area) under sub-section (1) of Section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 (No. 23 of 1973), and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely:—

1. Commissioner, Narmadapuram Division Hoshangabad M. P.
2. Collector, Hoshangabad, M. P.
3. Deputy Director, Town & Country Planning Distt. Office Hoshangabad, M. P.
4. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Piparia, M. P.

(2) The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M. P. Gazettee under Section 19 (5) of M. P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VARSHA NAOLEKAR, Dy. Secy.